प्रेस नोट इटावा पुलिस दिनांक- 09.10.2025

#OPERATION CONVICTION

इटावा पुलिस/अभियोजन की प्रभावी पैरवी के चलते आज दिनांक 09.10.2025 को अभियोग मे सजा करायी गयी है।

1. थाना फ्रेण्डस कालोनी

इटावा पुलिस/अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुये 01 अभियुक्त को 05 वर्ष का सश्रम कारावास व 8,000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही कराये जाने तथा मा0 न्यायालय से दण्डित कराये जाने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री बृजेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में थाना फ्रेण्डस कालोनी, मानीटरिंग सैल द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुये 01 अभियुक्त को मा0न्याय0 इटावा द्वारा 05 वर्ष के सश्रम कारावास व 8,000/- रु0 का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 01/2.02.2023 को वादी की तहतरीर पर अज्ञात चोरों द्वारा वादी का महिन्द्रा पिकअप लोडर मय अनार के छीन लेना व 01 मोबाइल फोन व 16 हजार रुपये छीन लेने के संबंध में थाना फ्रेण्डस कालोनी पर **मु0अ0सं0-38/2023 धारा 392/413/414/411/34 भादवि पंजीकृत किया गया।**

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में विवेचना अधिकारी उ0नि0 संजय सिंह व उ0नि0 प्रेमचन्द्र द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा इस प्रकरण मे सतत निगरानी बनाये रखते हुये दिये गये निर्देशानुसार अभियोग के गवाहों को थाना फ्रेण्डस कालोनी पुलिस टीम, पैरोकार हे0 का0 सुशील कुमार व एवं मानीटरिंग टीम व एडीजीसी श्री कौशलेन्द्र तोमर द्वारा नियत तिथियों पर प्रस्तुत करते हुये व अन्य साक्ष्यों को मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष पेश करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गयी। जिसके परिणामस्वरुप आज दिनांक 09.10.2025 को अन्तर्गत धारा 392/413/414/411/34 भादवि में **मा0न्याय0 एडीजे-12/ डकैती जनपद इटावा द्वारा अभियुक्त अक्षय को 05 वर्ष सश्रम कारावास व 8,000/- रु0 का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

सजायाफ्ता अपराधी-

1. अक्षय पुत्र कन्हैयालाल निवासी भूटा रामपुर थाना चौबिया जनपद इटावा।